तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

केन्द्रीय विद्यालय सगंठन

शैक्षिक कार्मिकों के वर्ग मे स्नातकोत्तर शिक्षक एवं गैर-शैक्षिक कार्मिकों के वर्ग मे सहायक अनुभाग अधिकारी के पद तक के लिए स्थानांतरण दिशानिर्देश-2018

1. उद्देश्य :

केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अपने संगठन को समुचित रुप से संचालित करने और कर्मचारियों के मध्य कार्य के प्रति अधिकाधिक संतुष्टि के भाव को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी स्थानों पर अपने कर्मचारियों के समान वितरण को बनाए रखने के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं। समस्त कार्मिकों की सेवाएँ किसी भी समय देशभर मे स्थानांतरणीय हैं तथा कार्मिक द्वारा पसंदीदा स्थान पर स्थानांतरण का दावा अधिकार के रूप मे नही किया जा सकता। स्थानांतरण करते समय संगठन के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी तथा कर्मचारियों की समस्याएं एवं परेशानियां संगठन के हित की तुलना में गौण रहेंगी।

2. परिभाषा:

क्रम सं.	अवधि	व्याख्या
1	अवधि	यह कठिन/उत्तर-पूर्व क्षेत्रों के लिए लागू होगी अर्थात कठिन क्षेत्रों के लिए03 वर्ष की अवधि लागू होगी । **<u>स्पष्टीकरण:</u>** कठिन और उत्तर - पूर्वी क्षेत्रों में 03 वर्ष की अवधि उन कर्मचारियों के संबंध में लागू नहीं होगी जो पहले02 वर्ष की अवधि व्यवस्थाके तहत तैनातीले चुके हैं।यह 03 वर्ष की नई अवधि की व्यवस्था2016-17 से प्रभावी स्थानांतरित/ तैनात किए गए कर्मचारियों के लिए अमल में लाई जाएगी । सीधी भर्ती पर अपनी इच्छा के अनुसार चुने गए जोन के आधार पर संपूर्ण उत्तर-पूर्व क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों के लिए कठिन क्षेत्र संबंधी बिंदु विचारणीय नहीं होगा । इस उद्देश्य के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्रों की सूची केविसं द्वारा अलग जारी की जाएगी ।
2	कठिन स्टेशन	जैसाकि केविसं द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए। इन दिशा-निर्देशों को लागू करते समय क्षेत्रों कीवर्तमान सूची लागू रहेगी ।
3	शारीरिकरुप से दिव्यांग/विक लांग कर्मचारी	वे कर्मचारी जो अन्य सामान्य कर्मचारियों की तुलना में दोगुना वाहन-भत्ता प्राप्त कर रहे हैं या वे कर्मचारी जिनके पास किसी सरकारी अस्पताल के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी / बोर्ड द्वारा जारी 40% से अधिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र हो ।
4	एपीएआर	वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट ।
5	संगठन	केविसं या इसके प्रशासनिक नियंत्रण में कोई कार्यालय या विद्यालय ।
6	स्थिति	कोई भी केंद्रीय विद्यालय या किसी स्थान पर स्थित केविसं का कोई अन्य कार्यालय
7	स्टेशन	तीन अंकों के कोड द्वारा केविसं द्वारा अधिसूचित कोई शहर/ नगर/महानगर । किसी एक स्टेशन पर एक से अधिक केंद्रीय विद्यालय/कार्यालय हो सकते हैं ।
8	एमडीजी	संलग्नक-1 में अलग से परिभाषित ।
9	डीएफपी	पिछले 02 वर्ष की अवधि के दौरान पति या पत्नी/ पुत्र/ पुत्री के आकस्मिक निधन की घटना30 जूनके अनुसार वर्ष की गणना की जाएगी ।

10	एलटीआर	वर्ष की 30जूनको अगले 03 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्ति ।
11	स्थानांतरण अंक	खंड 10 के अनुसार अनुरोध पर स्थानांतरण के लिए विभिन्न घटकों के आधार पर आबंटित कुल अंक ।
12	विस्थापन अंक	खंड 6 के अनुसार किसी स्टेशन से कर्मचारियों के विस्थापन को निर्धारण करने के लिए विभिन्न घटकों हेतु आबंटित कुल अंक ।
13	जोन	दिनांक 31.03.2017 के पश्चात तैयार चयन पैनल के आधार पर सीधी भर्ती पर नियुक्त कर्मचारियों की भर्ती/तैनाती और स्थानांतरण के उद्देश्य से बनाए गए ज़ोन इन स्थानांतरण दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आते हैं । ज़ोन के अंतर्गत राज्य/यू.टी. आते हैं । देशभर में 06 ज़ोन हैं ।
14	कर्मचारी	इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सभी शिक्षक और गैर-शिक्षक वर्ग के कर्मचारी आते हैं ।
15	माता-पिता की इकलौती संतान	केविसं का वह कर्मचारी जिन्होने अपने पति/पत्नी को गंवा दिया है या किसी न्यायालय द्वारा पति/पत्नी अलग हो गए हो या सेरोगेसी द्वारा या विधिक रुप से बच्चे को गोद लेने पर माता पिता बने हो ।

3. अनुप्रयोज्यता एवं स्थानांतरण प्रक्रिया :

यह मार्गदर्शिका स्नातकोत्तर स्तर तक के सभी श्रेणियों के शिक्षकों, लाइब्रेरियन, मुख्याध्यापक तथा सहायक तक के सभी गैर शैक्षिक कर्मचारियों पर लागू होगी। मार्गदर्शिका के खंड 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 में दिए गए उपबंधों के अनुसार स्थानांतरण प्रभावी होंगें । जहाँ पर स्थानांतरण के संगत घटकों के लिए समुचित अंक निर्धारित किए गए हैं वहाँ उन अंकों के समग्र योग के आधार पर स्थानांतरण प्रभावी होने की व्यवस्था की गई है।

(क) जहाँ तक संभव होगा केविसं द्वारा वार्षिक स्थानांतरण आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आमंत्रित किये जाएंगे और वार्षिक स्थानांतरण भी कंप्यूटराइज डाटाबेस के आधार पर होंगे ।

(ख) वार्षिक स्थानांतरण के दौरान किए जाने वाले सभी स्थानांतरण आदेश केविसं (मु.) की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे ।

4. स्थानांतरण के प्रकार:

स्थानांतरण को मुख्य रुप से दो वर्गो में विभाजित किया जाता है जैसे प्रशासनिक स्थानांतरण : ये वे स्थानांतरण हैं जिन्हें केविसं के हित में और सेवा एवं प्रशासन की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए संगठन द्वारा स्वतः आदेश जारी किए जाते हैं। अनुरोध स्थानांतरण : इस प्रकार के स्थानांतरण वे हैं जिन्हें कर्मचारियों के अनुरोध के आधार पर किया जाता है।

5. प्रशासनिक स्थानांतरण:

आमतौर पर ऐसे स्थानांतरण के माध्यम से के॰वि॰सं॰ द्वारा :-

क. ऐसे सरपल्स स्टाफ को संस्वीकृत रिक्त स्थानों पर पुनःनियोजित किया जाता है जिस स्थान पर वह तैनात है और वहाँ संस्वीकृत संख्या से अतिरिक्त हो जाता है।

ख. कठिन क्षेत्रों में कर्मचारियों की तैनाती करना।

ग. एल टी आर/ डी एफ पी/ एम डी जी/ दिव्यांग/ विधवा/ एकल माता या पिता और वह कर्मचारी जिसने कठिन/बहुत कठिन/उत्तर-पूर्व स्टेशन पर निर्धारित अवधि पूरी कर ली है, के अनुरोध पर विचार करते हुए उसको उस स्थान पर समाहित करने के लिए वहां पर मौजूद कर्मचारी को वहां से विस्थापित करना।

घ. केंद्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्र संख्या 3/9/13 के पत्र संख्या 004/सतर्कता/090 में दिए निर्देशों के अनुपालन में संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के रोटेशनल स्थानांतरण।

6. विस्थापन स्थानांतरण के लिए कार्मिक के विस्थापन घटक एवं अंकों की गणना:

किसी कर्मचारी के विस्थापन के लिए विस्थापन अंकों की गणना महत्वपूर्ण समुचित घटकों के आधार पर उचित अंकों के द्वारा निम्नानुसार की जाएगी :

क्रम संख्या	**घटक**	**प्वाइंट**
1.	30 जून को समाप्त वर्ष के अनुसार उसी पद पर एक ही स्टेशन पर ठहराव **स्पष्टीकरणः** • किसी भी कारण से अनुपस्थित रहने की अवधि की गणना इस उद्देश्य के लिए की जाएगी। • यदि कोई कर्मचारी 'X'स्टेशन से स्थानांतरित हुआ था परन्तु अनुरोध पर तीन वर्षो के भीतर(उत्तर पूर्वी/ कठिन स्टेशन के लिए 03 वर्ष एवं बहुत कठिन स्टेशन के मामलों में 02 वर्ष) पुनः 'X'स्थान पर स्थानांतरित होकर वापस आ जाता है तो ऐसे कर्मचारी का ठहराव 'X'स्टेशन पर उस स्टेशन पर पहले ठहरने की अवधि और उस स्टेशन पर वापस आने के बाद की अवधि को जोड़ दिया जाएगा तथा यदि कोई कर्मचारी उस स्टेशन पर 03 वर्ष की अवधि कठिन/ उत्तरपूर्वी स्टेशन पर और बहुत कठिन स्टेशन के लिए 02 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात वापस आता है तो उसके नए ठहराव की ही गणना की जाएगी। नोट: वर्ष 2017 से बहुत कठिन स्टेशन की श्रेणी हटा दी गई है।	+ 2 अंक, प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए
2	पिछले दो वर्षो की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट की ग्रेडिंग	औसत से नीचे की प्रत्येक ग्रेडिंग के लिए + 2 अंक
3	उस वर्ष की30 जूनको 40 वर्ष से कम उम्र के कर्मचारी जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस में किसी भी पद परकठिन/बहुत कठिन/उत्तर-पूर्वी स्टेशनों में एक अवधि भी पूर्ण नहीं की हो।	हां/नहीं (हां या नहीं लिखें)
4	एलटीआर/डीएफपी/विधवा/ एकल अभिभावक/एमडीजी संबंधी मामले **स्पष्टीकरणः** यदि किसी कर्मचारी पर एक से अधिक बिंदु लागू हो तो उसे अधिकतम (–) 50 अंकों की ही सुविधा अथवा लाभ मिलेगा।	-50
5	केविसं कर्मचारी का पति/पत्नी यदि उसी स्थान पर या 100 किलोमीटर की परिधि में तैनात हो।	-50
5 (क)	यदि केविसं कर्मचारी का पति/पत्नी रक्षाकार्मिक अथवा केंद्रीय अर्धसैनिक बल का कार्मिक है और उसी स्टेशन या 100 किलोमीटर की परिधि में तैनात है।	-40
6	केविसं कर्मचारी का पति/पत्नी, यदि सरकारी कर्मचारी है और उसी स्टेशन पर या 100 किलोमीटर परिधि में कार्यरत है।	-20

7	वह महिला कर्मचारी जिसका पति केविसं/रक्षा/ सरकारी कर्मचारी नहीं है।	-6
8	दिव्यांग कर्मचारी	-60
9	केविसं कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त संघों के वे सदस्य जो केविसं क्षेत्रीय कार्यालयों और/ अथवा केविसं (मुख्यालय) की जेसीएम के सदस्य भी हैं।	-25
10	पुरस्कार विजेता कर्मचारीः (क) राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय पुरस्कार (ख)केविसं राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार (ग) केविसं क्षेत्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार स्पष्टीकरणः यदि किसी कर्मचारी ने दोनों अथवा सभी तीनों पुरस्कार प्राप्त किये हो तब अधिकतम-6 अंक की छूट दी जाएगी।	 -6 -4 -2
11.	विस्थापन अंक	सभी बिन्दुओं के कुल अंक

7. प्रशासनिक स्थानांतरण की पद्धतिः

सरप्लस स्टाफ को समायोजित करने के लिए उस स्थान पर उस पद के कर्मचारियों के विस्थापन अंकों के अवरोही क्रम में खंड 5(क) के अंतर्गत प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण प्रभावी होंगें और ऐसे कर्मचारियों को स्पष्ट रिक्तियों वाले स्थानों पर समायोजित किया जाएगा।

खंड 5 (ख) के अंतर्गत प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण उस पद पर कार्यरत कर्मचारियों के विस्थापन अंकों के अवरोही क्रम में प्रभाव में लाए जाएंगें ताकि कठिनअन्य इच्छित स्टेशनों की पूर्व अनुमानित रिक्तियों को भरा जा सके। जहां तक खंड 5 (ग) का संबंध है इसके अंतर्गत जरुरतमंद कर्मचारी को उनके आवेदन प्रपत्र में स्थानांतरण के लिए दर्शाए गए स्थानों/स्टेशनों पर स्थानांतरण करने के लिए खंड 11 (क) में दिए अनुसार उस कर्मचारी के उसी पद पर उच्चतम विस्थापन अंकों वाले उसी पद के कर्मचारी विस्थापन के लिए दायी होंगें यदि उस स्थान/स्टेशन पर कोई रिक्त स्थान उपलब्ध न हो, बशर्ते कि जरुरतमंद कर्मचारी द्वारा दी गई प्राथमिकता के क्रम में संबंधित स्थान/स्टेशनों पर नीचे दिए अनुसार डी 1/डी 2 से कम अंक हो। यदि कोई कर्मचारी उसी स्टेशन पर स्थानांतरण के लिए अनुरोध करता है तो वह अपनी इच्छा के के.वि. के लिए आवेदन कर सकता है परंतु ऐसी स्थिति में उस कें.वि. में उसी पद के रिक्त होने पर ही विचार किया जाएगा और इससे उस कर्मचारी की स्टेशन वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी और वह लोकहित में विस्थापन के लिए दायी होगा।

इस प्रकार से विस्थापित होने वाले कर्मचारी कोउसके स्थानांतरण प्रोफार्मा में दर्शाए गये वांछित स्टेशन के स्थान पर तैनात करने के प्रयासकिएजाएंगें। ऐसा संभव नही होने पर निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त स्थान पर समाहित किया जाएगा । विस्थापन के अंक टाई होने की स्थिति में पुरुष कर्मचारी को विस्थापित किया जाएगा और यदि समान लिंग के कर्मचारियों के अंक टाई हो तब उस कर्मचारी को विस्थापित किया जाएगा जिसकी उस स्टेशन पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि पहले होगी और यदि दो या दो से अधिक कर्मचारियों की कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एक ही होने की स्थिति में सबसे कम उम्र के कर्मचारी को विस्थापित किया जाएगा।

(क) यह कि विस्थापन अंकों के लिए कट ऑफ अंक D1के अंतर्गत विस्थापन अंक 10(दस) और विस्थापन अंक D2 के अंतर्गत विस्थापन अंक 10(दस) और उसके साथ-साथ उसी स्टेशन पर 10 वर्षों का ठहराव और किसी कर्मचारी के इससे कम होने पर पैरा 5(ग) के अंतर्गत कर्मचारी के स्थानांतरण अनुरोध पर उस वर्ष समायोजित करने के लिए किसी कर्मचारी को विस्थापित नहीं किया जाएगा।

यदि ऐसी स्थिति आती है कि जब किसी कर्मचारी ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र/कठिन/अति कठिन क्षेत्र में निर्धारित अवधि पूर्ण कर ली है तथा उसके स्थानांतरण अंक सी-1 के बराबर हैं परंतु उसे समायोजित

करने के लिए इच्छित स्थान पर कोई रिक्त स्थान भी उपलब्ध नहीं है तब ऐसी स्थिति में इच्छित स्थानों में से

किसी स्थान पर तैनात कर्मचारी जिसके विस्थापन अंक अर्थात D1 10(दस) हैं, उसे विस्थापित करके ऐसे कर्मचारी के स्थानांतरण अनुरोध को स्वीकार कर समायोजित किया जाएगा।

जहां तक पैरा 5(सी) अर्थात एलटीआर/डीएफपी/एमडीजी/दिव्यांग कर्मचारी/विधवा/एकल माता-पिता के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों के कर्मचारियों के स्थानांतरण अनुरोध का संबंध है, उन्हें उनकी इच्छा के स्थान पर उपलब्ध रिक्त स्थानों के एवज में स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाएगी । यदि उनकी इच्छा के स्थान/स्थानों पर रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में इन कर्मचारियों के स्थानांतरण अनुरोध के अनुसार समायोजित करने के लिए इच्छित स्थान पर जिस कर्मचारी के विस्थापन अंक डी-2 अर्थात विस्थापन अंक 10(दस) के समकक्ष + उस स्टेशन पर 10 वर्षों का ठहराव है उसे विस्थापित किया जाएगा।

(ख) यह कि स्थानांतरणों में किसी भी असंतुलन को दूर करने के लिए वर्षानुवर्ष आधार पर विभिन्न घटकों के लिए आबंटित बिन्दुओं में कुछ घटकों को जोड़ा/घटाया जा सकता है और किसी भी परिवर्तन को स्थानांतरण आवेदन मांगने से पहले अधिसूचित किया जाएगा ।

(ग) यहकि संगठन के हित में किसी कर्मचारी की सेवाएं अतिशय आवश्यक होने पर उच्चतर विस्थापन अंक होने पर भी रोका जा सकता है ऐसी स्थिति में दूसरे/अगले विस्थापन अंक वाला कर्मचारी विस्थापन के लिए दायी होगा।

(घ) यहकि किसी कर्मचारी अथवा कर्मचारियों के समूह को संगत न्यायोचितपरिस्थितियों या अन्य प्रशासनिक आकस्मिकताओं के कारण विस्थापन से छूट एक वर्ष में एक बार प्रदान की जा सकती है।

केविसं के कर्मचारी, स्थानांतरण वर्ष में जिनके बच्चों को X और XII की बोर्ड की परीक्षाएँ देनी है वे एक वर्ष के लिए छूट प्राप्त कर सकेगे ।

कर्मचारी केआश्रित दिव्यांग बच्चेके संबंध मेंसक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने परइस प्रावधान के अंतर्गत विचार किया जाएगा (दिव्यांग की सूची के लिए 11(ई) देखे) ।

(ङ) यहकि कर्मचारी को संगठन के हित में प्रतिकूल प्रतीत होने पर उस स्थान से किसी भी समय स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रावधान के तहत स्थानांतरित कर्मचारी को उसी स्थान पर वापस आने के लिए नए स्थान पर 03 वर्ष पूरा होने से पहले विचार नहीं किया जाएगा ।

(च) यहकि किसी कर्मचारी के विस्थापन अंक नहीं होने पर भी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किसी स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

(छ) यह कि किसी कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि उसी क्षेत्र में स्टाफ की कम संख्या हो तो वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात विस्थापन अंक के अवरोही क्रम मेंलोकहित में भी स्थानातरित किया जा सकता है ।

(ज) कोई कर्मचारीसरपल्स होने पर पैरा 5(क) के अंतर्गत,किसी अन्य स्टेशन पर तैनात किया गया हो और बाद में उसी स्टेशन पर रिक्ति होने पर एक वर्ष के भीतर वापस लाने के लिए विचार किया जा सकता है, जहाँ से वह स्थानांतरित हुआ था । एक से अधिक ऐसे सरपल्स कर्मचारियों के मामले में कनिष्ठ कर्मचारी जिसकी पिछले स्टेशन पर कम ठहराव अवधि हो,को प्राथमिकता दी जाएगी, यदि वह इसके लिए अनुरोध करता है ।

8. वर्ष की 30 जून को 40 वर्ष से कम आयु के कर्मचारी जिन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान कठिन/बहुत कठिन/उत्तर- पूर्वी स्टेशनों पर एक अवधि भी पूरी नहीं की है और वर्तमान में भी ऐसे स्थानों पर तैनात नहीं

है तथा वर्तमान पद पर उस स्टेशन पर एक वर्ष पूरा कर लिया है, उन्हें विस्थापन अंकों के अवरोही क्रम में कठिन स्टेशन पर तैनात किया जा सकता है। कठिन क्षेत्रों में तैनाती के लिए कर्मचारीयदि कोई अपना विकल्प देना चाहता हो तो वह नियमित वार्षिक स्थानांतरण आवेदन में अपना विकल्प दे सकते हैं। कर्मचारी कठिन स्टेशन

पर अपनी तैनाती के लिए विकल्प दे सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ऐसे कर्मचारी को उस वर्ष के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पारदर्शी तरीकें से तैनात करेगा, ऐसे स्थानांतरण यद्यपि अनुरोध के आधार पर किए जाते हैं परंतु इन्हें उपर्युक्त खंड 5(ख) के अनुसार प्रशासनिक आधार पर माना जाएगा।

9. कार्मिक के अनुरोध पर स्थानांतरण:

(I) अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण इस आशय के लिए निर्धारित कलैंडर के अनुसार होंगें। अनुरोध पर स्थानांतरण कर्मचारी के "स्थानांतरण अंकों" के आधार पर प्रभावी होंगें, जिनकी गणना स्थानांतरण के लिए विचारणीय संगत घटकों में दिए गए उपर्युक्त बिंदुओं के अनुसार की जाएगी। जोन प्रणाली के आधार पर नियुक्त कर्मचारी नियुक्ति आदेश की शर्तो के अनुसार अपनी प्रारंभिक भर्ती के प्रायः तीन वर्षकी अवधि के लिए अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण मांगने के लिए पात्र नहीं होगा। वर्तमान कर्मचारी जिन्होनें अपनी तैनाती के वर्तमान स्टेशन पर 30 जून को एक वर्ष पूरा कर लिया है,अनुरोध पर स्थानांतरण के लिए पात्र है। कर्मचारी एक शिक्षा सत्र में दो बार अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण के लिए भी पात्र नहीं होगा।

(II) यदि किसी कर्मचारी को वर्ष 2017 और उसके पश्चात अनुरोध पर अपनी इच्छा के स्थान पर तैनाती मिल गई है उनके मामले में कठिन स्टेशन पर तीन वर्ष और सामान्य स्टेशन पर 10 वर्ष की अवधि बीत जाने से पहले स्थानांतरण के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि यह शर्त केविसं में या अन्य भारत सरकार/ राज्य सरकारों में कार्यरत पति/पत्नी के मामले में लागू नहीं होगी।

(III) जो कर्मचारी सीधी भर्ती पर ज़ोन के विकल्प के आधार पर नियुक्त किए गए हैं, उनके मामले में उसी ज़ोन के अंतर्गत प्रारंभिक नियुक्ति के स्थान पर 03 वर्ष पूरा कर लेने पर अनुरोध पर स्थानांतरण हेतु विचार किया जाएगा तथापि केविसं या भारत सरकार या राज्य सरकार के अन्य विभागों/ संगठनों में कार्यरत कर्मचारी के पति/पत्नी संबंधी पैरा 9 (ii) में दिए गए मामले इस व्यवस्था में सम्मिलित नहीं होंगे। ऐसे कर्मचारी वार्षिक स्थानांतरण के दौरान अपने पति/पत्नी की तैनाती के आधार पर अपने विकल्प के स्थानों पर स्थानांतरण हेतु अनुरोध कर सकते हैं।

(IV) यदि कोई कर्मचारी दो शिफ्टों में चल रहे केंद्रीय विद्यालयों में तैनात है और वह रिक्त स्थान की एवज में उसी विद्यालय में शिफ्ट परिर्वतन करवाना चाहता है तो वह भी वार्षिक स्थानांतरण के दौरान आवेदन कर सकता है।

(V) **जोन का गठन :** इस मार्गदर्शिका के अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती , तैनाती और स्थानांतरण के उद्देश्य के लिए केविसं द्वारा समस्त देश को06 राष्ट्रीय ज़ोन में वर्गीकृत किया गया है। यह व्यवस्था जोन के विकल्प के अनुसार 31.03.2017 के पश्चात तैयार किए गए चयन पैनलों के आधार पर केविसं में सीधी भर्ती पर नियुक्त कार्मिकों पर लागू है। वे जोन इस प्रकार हैं:-

क्रम संख्या	जोन का नाम	जोन में सम्मिलित राज्य/यू.टी
1.	पूर्वी जोन	1. बिहार 2. झारखंड 3. ओडिसा 4. पश्चिम बंगाल 5. सिक्किम
2.	पश्चिम जोन	1. दादरा एवं नगर हवेली 2. दमन एवं दीव 3. गोवा 4. गुजरात 5. महाराष्ट्र 6. राजस्थान
3.	उत्तरी जोन	1. चण्डीगढ 2. दिल्ली 3. हरियाणा 4. हिमाचल प्रदेश 5. जम्मू एवं कश्मीर 6. पंजाब 7. उत्तराखंड
4.	केन्द्रीय जोन	1. मध्य प्रदेश 2. उत्तरप्रदेश 3. छत्तीसगढ
5.	दक्षिणी जोन	1. अंडमान-निकोबार 2. आंध्रप्रदेश 3. कर्नाटक 4. केरल 5. लक्षद्वीप 6. पुडुचेरी 7. तमिलनाडु 8. तेलंगाना
6.	उत्तर- पूर्वी जोन	1. अरुणाचल प्रदेश 2. असम 3. मणिपूर 4. मेघालय 5. मिजोरम 6. नागालैंड 7. त्रिपूरा

(VI) जो कर्मचारी उत्तर-पूर्व क्षेत्र हेतु विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत भर्ती हुए हैं उन्हें उत्तर- पूर्व .जोन से बाहर स्थानांतरण हेतु विचार नही किया जाएगा ।

10. अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण के लिए कार्मिक के स्थानांतरण अंक, प्रमुख घटकों बिंदुवार गणनाः

क्रम सं.	**घटक**	**30 जून के अनुसार गणना किए गए अंक**
1	**30 जून को किसी स्टेशन** पर सक्रिय ठहराव(सामान्य स्टेशन पर30 दिन अथवा उससे अधिक और कठिन/बहुत कठिन/उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में 45 दिन या उससे अधिककी निरंतर अनुपस्थिति की अवधि को गणना में नहीं लिया जाएगा।) **<u>स्पष्टीकरण</u>:** कर्मचारी जिसका स्थानांतरण आदेश 20 जून या उसके पश्चात जारी किया गया हो तो उसकीअवधि की गणना करने के लिए कठिन/ बहुत कठिन एवं उत्तर-पूर्व स्टेशन पर कार्यभार ग्रहणकरने में देरी हेतु 25दिन की छूट प्रदान की जाएगी ।इस 25 दिन की अवधि में कार्यभार ग्रहणकरनेका समय और छुट्टियां यदि कोई ली हो तो दोनों शामिल हैं ।	+ 2 प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए
2	**पिछले 02 वर्षों** की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट की ग्रेडिंग/ यदि **पिछले दो वर्षो** में से किसी वर्ष की रिपोर्ट नहीं लिखे जाने अथवा उपलब्ध न होने की स्थिति में उससे पूर्व की APAR पर विचार किया जाएगा।	+ 2 प्रत्येक वर्ष की उत्कृष्ट ग्रेडिंग के लिए
3	**पुरस्कार विजेता कर्मचारी:** (क)भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय पुरस्कार (ख)केविसं राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार (ग)केविसं क्षेत्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार	 + 6 + 4 +2

	<u>स्पष्टीकरण</u>: यदि किसी कर्मचारी नेकोई दो या सभी तीन पुरस्कार अर्जित किए हैं, तब उसे अधिकतम +6अंक दिए जाएंगें।	
4	अनुरोध किए गए स्टेशन पर अथवा 100 कि.मी. के भीतर केविसं में कार्यरत पति/पत्नी	+50
4(क)	अनुरोध किए गए स्टेशन पर अथवा 100 किमी. के भीतर रक्षा क्षेत्र केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कार्यरत पति/ पत्नी	+40
5	अनुरोध किए गए स्टेशन पर अथवा 100 कि.मी. के भीतर सरकारी सेवा में कार्यरत पति/पत्नी	+20
6	एलटीआर/ डीएफपी/एमडीजी/विधवा/ एकल अभिभावक संबंधी मामलें। यदि कोई कर्मचारी उपर्युक्त बिंदुओं में से एक से अधिक बिंदुओं से संबंधित हो तो उसे केवल अधिकतम + 50 अंक ही दिए जाएंगें । यदि किसी कर्मचारी ने पिछले वर्ष (वर्षो) में पहले ही इन आधारों पर स्थानांतरण प्राप्त कर लिया हो तो ऐसी स्थिति में उन्हें दोबारा इन अतिरिक्त अंकों का लाभ नहीं दिया जाएगा।	+ 50
7	(क) कठिन/उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में (03 वर्ष)कार्यावधि पूर्ण करने पर (ख)बहुत कठिन क्षेत्रों में(02 वर्ष) कार्यावधि पूर्ण करने परउपरोक्त अंक आवेदन करने वाले कर्मचारियों को केवल तब दिए जाएंगे जबकि उसने कठिन/अति कठिन/उत्तर- पूर्वी क्षेत्र में निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर ली हो।इस शीर्ष के अंतर्गत अधिकतम अंक + 55/ + 60 मात्र रहेंगें। **<u>स्पष्टीकरण</u> :**कठिन और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के मामले में 03 वर्ष की अवधि उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी । जिन्हें पूर्व में 02 वर्ष की अवधि पर तैनात किए जा चुका है । 03 वर्षो की नई अवधि 2016-17 में स्थानांतरित/ तैनात कर्मचारियों पर लागू होगी ।	+ 55 + 60
8	दिव्यांग कर्मचारीः यदि कर्मचारी ने विगत वर्षो में इन अतिरिक्त बिंदुओं के आधार पर अनुरोध पर पहले ही स्थानांतरण ले चुका तोऐसी स्थिति में उसी पद के लिए उसे फिर से प्वाइंट नहीं दिए जाएंगें।	+ 60
9	महिला कर्मचारीः **<u>स्पष्टीकरण:</u>**महिला कर्मचारी जो उपर्युक्त क्रम संख्या 04, 05 और 06 में प्वाइंट पहले ही प्राप्त कर चुकी हैं वे इसके लिए पात्र नहीं होगी।	+ 6
10	केविसं स्टाफ के मान्यता प्राप्त संघो के वे सदस्य जो केविसं (मु.) और क्षेत्रीय कार्यालयों की जेसीएम के भी सदस्य हैं ।	+ 25
	स्थानांतरण अंक	सभी बिंदुओं का कुल योग

11. अनुरोध पर स्थानांतरण की पद्धति:

किसी स्टेशन पर उस पद के लिए अनुरोध पर स्थानांतरण खंड 10 के आधार पर गणना किए गएप्रतियोगी कर्मचारियों के "स्थानांतरण अंकों" के घटते क्रम के अनुसार विचार किया जाएगा। एक ही स्थान पर स्थानांतरण की दौड़ में दो अथवा इससे अधिक कर्मचारियों के स्थानांतरण अंक समान होने पर महिला कर्मचारी को प्रथम वरीयता दी जाएगी। यदि एक ही पद के एक ही लिंग के दो या दो से अधिक कर्मचारियों के समान अंक होने की

स्थिति में, वर्तमान स्टेशन में पहले कार्यभार संभाल चुके कर्मचारी को समायोजित किया जाएगा तथा यदि उसी पद पर उसी स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख एक समान होने पर आयु में बड़े कर्मचारी को समायोजित किया जाएगा। सभी अनुरोध स्थानांतरण आवेदनों के स्थानांतरण अंकों को केविसं की वेबसाइट पर दिया जाएगा । परस्पर स्थानांतरण और 'नो टेकर वेकेंसियों' के लिए निर्धारित समय सारणी के अनुसार अलग से आवेदन आमंत्रित किए जाएगें ।

क) यह कि वर्षानुवर्ष आधार पर स्थानांतरण अंक गणना के लिए सी-1कट ऑफ अंक इस प्रकार निर्धारित किए जाएं कि यदि किसी कर्मचारी के स्थानांतरण अंक सी-1या इससे अधिक हैं तो उसका स्थानांतरण उसके इच्छित स्थानों/स्टेशनों में किसी एक के लिए स्पष्ट रिक्ति ना होने पर भी खंड 5 (ग) के अनुसार विस्थापन के तरीके से किया जाएगा ।यदि इच्छित स्थान पर कोई रिक्त स्थान उपलब्ध न हो तो ऐसे मामलों में उच्चतम विस्थापन अंक वाले कर्मचारियों (बशर्ते कि वह नीचे दिए गए डी 1 या डी 2 के अंतर्गत नहीं आता हो) को जरुरतमंद कर्मचारी द्वारा दर्शाई गई वरीयता के क्रम में इच्छित स्थानों में से विस्थापित किया जाएगा । यदि जरूरतमंद कर्मचारी द्वारा दर्शाई गई वरीयता के क्रम में सभी इच्छित स्थान/स्टेशनों पर उस पद पर विस्थापन के अंक डी-1अथवा डी - 2 अंक के कर्मचारियों के अलावा कोई कर्मचारी न हो तो ऐसी स्थिति में जरुरतमंद कर्मचारी के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। किसी कर्मचारी का विस्थापन स्थानांतरण स्थानांतरण मार्गदर्शिका के पैरा 7 (क) के प्रावधानों के अनुसार प्रभावी होगा ।

ख) यहकि वर्षानुवर्ष आधार पर स्थानांतरण गणना के लिए न्यूनतम सी-2कट ऑफ अंक निर्धारित किए जाएं, उस विशेष वर्ष के लिए इससे नीचे के अंक होने पर अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। परंतु किसी कर्मचारी के स्थानांतरण अंक सी-1से कम हैं और सी-2के बराबर या उससे अधिक हैं तथा उसके इच्छित स्थान/स्टेशनों में रिक्त स्थान उपलब्ध हो तो उसके स्थानांतरण अनुरोध पर विचार किया जा सकता है।

ग) यह कि वर्षानुवर्ष के आधार पर स्थानांतरणों में किसी प्रकार के असंतुलन को दूर करने के लिए विभिन्न घटकों के लिए आबंटित बिंदुओं में परिवर्तन/परिवर्धन अथवा अधिक घटकों को जोड़ा/हटाया जा सकता है। ऐसे परिवर्तनों की अधिसूचना आवदेन मांगने से पूर्व जारी की जाएगी।

घ) यह कि संगठन के प्रभावी संचालन हेतु किसी कर्मचारी की सेवाओं की अनिवार्यताओं तथा किसी कर्मचारी द्वारा सामना की जा रही ऐसी परिस्थितियां हैं जो उसे बारी से पहले स्थानांतरण के लिए उचित समझा जाएके कारण अधिक स्थानांतरण अंक वाले कर्मचारी की तुलना में कम स्थानांतरण अंक वाले कर्मचारी को समायोजित किया जा सकता है।

ङ) यह कि विभिन्न प्रकार से आश्रित दिव्यांग बच्चों वाले कर्मचारियों को 'ए' एवं 'बी' क्लास के शहरों में तैनाती दी जाए, यदि उन्हें उनकी इच्छा के स्टेशन पर स्थानांतरण नहीं मिल पाता है । इस प्रकार के मामलों में डीओपीटी केमानकों के अनुसार दिव्यांगता का प्रतिशत होना चाहिए।

डीओपीटीके कार्यालय ज्ञापन संख्या 42011/3/2014- स्था. (आरईएस),दिनांक 05.01.2016 में स्पष्ट किया गया है कि "दिव्यांग" में निम्न सम्मिलित है:-(i)अंधापन अथवा कम दृष्टि (ii) बहरापन (iii) लोकोमोटर विकलांगता अथवा मस्तिष्क पक्षाघात(iv)कुष्ठ रोग (v)दिमागी मंदता (vi) दिमागी बीमारी (vii)मल्टीपल दिव्यांगता(viii)ऑटिजम (ix) थैलेसीमिया (x)हीमोफिलिया

(च) परस्पर स्थानांतरण :

कर्मचारी अपने वांछित स्थान पर परस्पर स्थानांतरण पाने के लिए पात्र होगें, यदि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों :-

(i) यदि उसने प्रारंभिक तैनाती पर उस स्टेशन पर उसी पद पर कम से कम 01 वर्ष पूरा कर लिया है। 31.03.2017 के पश्चात तैयार चयन पैनलों के आधार पर ज़ोन के विकल्प के तहत नियुक्त कर्मचारी (पति/पत्नी संबंधी पैरा 9 (ii) के मामलों को छोड़कर) उस स्टेशन पर 03 वर्ष की सेवा पूरी करने पर ही परस्पर स्थानांतरण के लिए आवेदन हेतु पात्र होगा।

(ii) परस्पर स्थानांतरण का लाभ पूरीसेवा अवधि में केवल दो बार इस शर्त के साथ दिया जाएगा कि वही कर्मचारी (युग्म) दूसरी बार एक दूसरे के साथ परस्पर स्थानांतरण नहीं करेंगे।ज़ोन के आधार पर भर्ती कर्मचारी उसी ज़ोन में परस्पर स्थानांतरण के लिए पात्र होंगे।

(iii) परस्पर स्थानांतरण का लाभ लेने की प्रविष्टि कर्मचारी के सेवा रिकार्ड में की जाएगी। परस्पर स्थानांतरण लेने वाले कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के स्थानांतरण की आम प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात उचित माध्यम से अलग से आवेदन करेंगे तथा परस्पर स्थानांतरण प्रकिया वर्ष भर जारी रहेगी ।

(iv) पैरा 9 के अनुसार परस्पर स्थानांतरण को अनुरोध पर स्थानांतरण के रुप में माना जाएगा।

(छ) "नो टेकर" रिक्ति के सापेक्ष स्थानांतरण :

i. सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात केविसं द्वारा 'नोटेकर ' रिक्ति पर स्थानांतरण के लिए कर्मचारियों (जिनकी तैनाती विशिष्ट अवधि के लिए की गई है और जिन्होंने निर्धारित तैनाती की अवधि पूरी नहीं की है, को छोड़कर) के अनुरोध पर विचार किया जाएगा। "नो टेकर" रिक्तिका अर्थ है कि वार्षिक स्थानांतरण कैलेण्डर के पूर्ण होने के पश्चात भी जो पद रिक्त रह गया है। स्थानांतरण पाने के इच्छुक कर्मचारी सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक वर्ष उचित माध्यम से अलग से ऐसे आवेदन करेंगें तथा स्थानांतरण कैलेण्डर के अंत में "नो टेकर" रिक्ति के स्थान पर स्थानांतरण हेतु विचार किया जाएगा।

ii. कोई भी कर्मचारी या तो परस्पर स्थानांतरण अथवा "नो टेकर" रिक्ति में से किसी एक के लिए आवेदन कर सकता है, दोनों के लिए नहीं।ज़ोनल आधार पर भर्ती कर्मचारी केवल उसी ज़ोन में "नो टेकर" रिक्ति के लिए स्थानांतरण हेतु पात्र होगे।

iii. यदि केविसं का कोई कर्मचारी "नो टेकर" रिक्ति प्रावधान के माध्यम से अपने पति/ पत्नी को ज्वाइन करना चाहता है तो ऐसे कर्मचारी को सर्वोच्च पर्‌ाथमिकता दी जाएगी। यदि एक ही वर्ष में पति और पत्नी दोनों स्थानांतरण प्राप्त कर लेते हैं। उनमें से पहला कर्मचारी कठिन/ अति कठिन/ उत्तर-पूर्वी स्टेशन से स्थानांतरण मार्गदर्शिका के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत स्थानांतरण प्राप्त करता है और बाद में दूसरा "नो टेकर" रिक्ति के प्रावधान के माध्यम से पहले से स्थानांतरित अपने पति/ पत्नीके स्थान पर कार्य भार ग्रहण करता/ करती है, तो 01 जुलाई से स्थानांतरण आदेश जारी होने की तिथि तक +25 दिन (25 दिन में कार्यभार ग्रहण की उपभोग की गई अवधि और अन्य अवकाश यदि कोई लिया हो,दोनों मिलाकर) सम्मिलित होंगे, की बाद में "नो टेकर" रिक्ति के अंतर्गत स्थानांतरण प्राप्त करने वाले पति/ पत्नी की अवधि को पूर्ण करने के लिए गणना की जाएगी। इस प्रकार दोनों पति/ पत्नी कठिन/ अति कठिन/ उत्तर-पूर्व स्टेशन पर समकालिक रूप में होंगे।

iv. यदि किसी केंद्रीय विद्यालय में एक ही पद के लिए अधिक दावेदार हो (उपर्युक्त (iii) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी को छोड़कर) तो इसमें वरीयता उस कर्मचारी को दी जाएगी जो केविसं की सेवा में सबसे वरिष्ठ होगा ।

v. "नो टेकर" रिक्ति पर किए गए स्थानांतरण को पैरा 9 के अनुसार अनुरोध पर स्थानांतरण माना जाएगा ।

(ज) योग शिक्षक किसी भी केंद्रीय विद्यालय में अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं । योग शिक्षक के स्थानांतरण को उसके पद सहित स्थानांतरण के रूप में माना जाएगा ।

12. स्थानांतरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी:

आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केंद्रीय विद्यालयों हेतु शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 15 (क) (3) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत केविसं (मु.) और क्षेत्रीय कार्यालयों तथा केंद्रीय विद्यालयों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की कहीं भी स्थानांतरण या तैनातीकी जा सकती है तथा कोई भी कार्य सौंपे जा सकते हैं। संक्षेप में इन दिशा-निर्देशों के अनुसार इन विभिन्न खंडों और उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग अथवा विभिन्न खंडों अथवा उपबंधों के अंतर्गत स्थानांतरण करने अथवा छूट प्रदान करने के लिए आयुक्त सक्षम प्राधिकारी हैं। आयुक्त, केविसं द्वारा यथा परिस्थिति अपनी कुछ शक्तियाँ सामान्य या विशिष्ट आदेश जारी कर निश्चति अवधि के लिए अन्य अधिकारियों को सौंपी जा सकती हैं। ऐसी प्रदत्त शक्तियों को आयुक्त द्वारा कभी भी वापस लिया जा सकता है और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।

13. मार्गदर्शिका को शिथिल करने की शक्तियाँ :

इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के बावजूद अध्यक्ष, केविसं के अनुमोदन से आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन एक मात्र प्राधिकारी है जो उपर्युक्त किसी या सभी उपबंधों में छूट प्रदान कर किसी भी कर्मचारी को किसी भी स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं।

14. मार्गदर्शिका की व्याख्या :

केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रशासन और प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से इस मार्गदर्शिका तथा इसके उपबंधोंके कार्यान्वयन की व्याख्या करने एवं अन्य ऐसे आदेश, जो उचित समझे जाएं, जारी करने के लिए आयुक्त, केविसं एक मात्र सक्षम प्राधिकारी होंगें।

15. बाह्य प्रभाव के विरूद्ध संरक्षण :

कर्मचारी किसी प्रकार का बाह्य प्रभाव नहीं लाएगें । यदि किसी भी स्रोत से इस प्रकार का प्रभाव किसी कर्मचारी के संबंध में आता है तो यह माना जाएगा कि यह प्रभाव संबंधित कर्मचारी द्वारा लाया गया है। ऐसे कर्मचारी के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध संगत सेवा नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। बाहरी प्रभाव में केविसं कर्मचारी के पति/ पत्नी और परिवार का सदस्य/ रिश्तेदार सभी शामिल हैं । स्थानांतरण के संबंध में कोई अभ्यावेदन/ अनुरोध जिसपर संबंधित कर्मचारी के स्वयं के हस्ताक्षर नहीं होंगे उनपर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे आवेदन तुरंत निरस्त हो जाएंगे ।

16. वार्षिक स्थानांतरण संबंधी विभिन्न गतिविधियों का कार्यक्रम:

इन दिशा निर्देशों के अनुसरण में वार्षिक स्थानांतरण अमल में लाने के लिए केविसं द्वारा वार्षिक स्थानांतरण गतिविधियों के संबंध में एक विस्तृत कैलेंडर तैयारकिया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने हेतु निम्नलिखित समय सीमा का अनुपालन किया जाएगा :-

क) केविसं द्वारा स्थानांतरण आदेशजारी करना - 31 मई तक

ख) केविसं द्वारा अपने पहले जारी स्थानांतरण आदेशों में संशोधन/ प्रशासनिक आधार पर उन्हें रद्द करना/ या किसी अन्य विसंगति को दूर करना - 30 जून तक

ग) "नो टेकर" रिक्तियों पर स्थानांतरण - 31जुलाई तक

घ) 31 जुलाई के पश्चात विशिष्ट परिस्थितियों में रिक्त स्थानों पर स्थानांतरण या किसी अन्य रिक्त स्थान पर स्थानांतरण आयुक्त के अनुमोदन से निम्न परिस्थितियों में किया जाएगा :-

(i) परिवार में मृत्यु होने पर।

(ii) स्थानांतरण मार्गदर्शिका के संलग्नक -1 के अनुसार कर्मचारी स्वंय या परिवार के सदस्य की एमडीजी।

(iii) पति/पत्नि (स्पाउस) संबंधी मामले।

नोट: उपर्युक्त श्रेणियों में भी परस्पर टाई हो जाने पर निम्नक्रमानुसार वरीयता दी जाएगी :- डीएफपी, एमडीजी, पति /पत्नि संबंधी (स्पाउस)। इसके साथ-साथ पति/पत्नि के मामले में भी टाई हो जाने पर निम्नवत वरीयता होगी :-

(i) केविसं कर्मचारी के पति/पत्नी
(ii) भारत सरकार के कर्मचारी का पति/पत्नी
(iii) राज्य सरकार कर्मचारी के पति/पत्नी
(iv) किसी अन्य के पति/पत्नी

च) वार्षिक परीक्षाओं अर्थात फरवरी और मार्च के दौरान कोईभीस्थानांतरण नहीं होंगे।

*****

चिकित्सा आधार पर स्थानांतरण लाभ के लिए मान्य निर्धारित बीमारियों के प्रकार :

नोट:- कृपया केंद्रीय विद्यालय संगठन मार्गदर्शिका के पैरा सं. 2(8) का संदर्भ ग्रहण करें। "एम डी जी" से अभिप्राय है कि यदि कोई कर्मचारी स्वयं, अपने पति या पत्नी अथवा आश्रित पुत्र / पुत्री के लिए संलग्नक– 1 में दी गई सूची में से कोई एक या एक से अधिक चिकित्सा एवं बीमारियों के आधार पर स्थानांतरण मांगता है ।

बीमारियों के प्रकार :

1. कैंसर
2. लकवा / पैरालिटिक स्ट्रोक
3. गुर्दा / किडनी खराब होना
4. नीचे दर्शाए अनुसार धमनी (कोरोनरी) रोग
5. थैलेसीमिया
6. पार्किंसंस रोग
7. मोटोर न्यूरॉन रोग
8. 50% से अधिक मानसिक विकलांगता सहित कोई अन्य रोग
9. एड्स

स्थानांतरण मार्गदर्शिका के अनुसार जिस बीमारी/रोग के कारण चिकित्सा आधार पर स्थानांतरण के लिए विचार किया जाएगा उनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं। यहाँ संदर्भित चिकित्सा संबंधी शर्तें को बटरवर्थ के चिकित्सा शब्दकोश में दिये गए अर्थ के अनुसार परिभाषित किया जाएगा।

(i) कैंसर

इसमें घातक कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि और उनका फैलाव शामिल है। कैंसर की परिभाषा में ल्यूकेमिया, लिम्फोमास और हॉगकिंस रोग शामिल है।

अपवर्जन:

इसमें इन सीटू गैर इनवेसिव कार्सिनोमा (एस), जल्दी घातक परिवर्तन वाले गैर इनवेसिव ट्यूमर, स्थानीय एचआईवी या एड्स की उपस्थिति और मेलेनोमा के अलावा किसी भी प्रकार का त्वचा कैंसर शामिल नहीं हैं।

(ii) लकवा / पैरालिटिक स्ट्रोक

(सेरेबरो – संवहनी दुर्घटनाओं) संवहनी कारणों से मस्तिष्क के एक हिस्से का खराब हो जाना जैसे (क) नकसीर (मस्तिष्क), (ख) घनास्त्रता (मस्तिष्क), (ग) दिल का आवेश (मस्तिष्क) के कारण बीमारी होने से तीन महीने के अंदर दो या अधिक अंगों की कुल स्थायी विकलांगता हो जाना।

<u>अपवर्जन</u> :

(i) क्षणिक/ इस्कैमिक अटैक

(ii) सिंड्रोम जैसे स्ट्रोक जिनके कारण

अ) सिर में चोट लगना

ब) फोड़ा, घाव, रक्तस्त्राव और ट्यूमर की तरह घाव और ट्यूमर

स) ट्यूबरक्लोसिस दिमागी बुखार, योजेनिक दिमागी बुखार और मेंनिनगोकोकल मैनिंजाइटिस

(iii) <u>किडनी खराब हो जाना</u>

दोनों किडनियों का खराब हो जाना, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता हो। इसे अच्छी तरह से प्रलेखित किया जाना चाहिए । शिक्षक को नियमित हेमोडायलिसिस और प्रासंगिक प्रयोगशाला जांच और डॉक्टर प्रमाणीकरण के सबूत उपलब्ध कराने होगें।

(iv) <u>धमनी (कोरोनरी) रोग</u>

1. एक हृदय रोग विशेषज्ञ की सलाह पर एक या अधिक कोरोनरी धमनियों या वाल्व प्रतिस्थापन, संकुचन या रुकावट को दूर करने के लिए सर्जरी से जुड़े मामलों को वास्तविक ओपन हार्ट सर्जरी की तारीख से तीन साल तक स्थानांतरण के लिए एमडीजी मामलों पर विचार किया जाएगा और पात्र कर्मचारी इस अवधि के दौरान अंक के लिए हक़दार होगें।
2. गैर सर्जिकल तकनीक से जुड़े मामले जैसे, धमनी प्रणाली के माध्यम से एंजियोप्लास्टी, इस तरह के मामलों में प्रक्रिया की तिथि से एक वर्ष की अवधि की लिए एमडीजी मामले पर विचार किया जाएगा और पात्र कर्मचारी इस अवधि के दौरान अंक के लिए हक़दार होगें।

(v) <u>थैलेसीमिया</u>

यह एक विरासत में मिला विकार है और इसका निदान के दौरान और प्रयोगशाला के विभिन्न मानकों के आधार पर पता चलता है। थैलेसीमिया के रोगी को खून की कमी होती है और हीमोग्लोबिन स्तर को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से उसे रक्त चढ़ाया जाता है। इसके अलावा उसे अन्य देखभाल की भी आवश्यकता होती है।

<u>समावेश:</u>

(1) मेजर थैलेसीमिया– तीन माह से कम के अंतराल पर ब्लड टांस्फ्यूजन /बदलने का इतिहास यह सभी चिकित्सा दस्तावेजों द्वारा समर्थित होना चाहिए। विवरण में रोग द्वारा अपेक्षित अवधि में ब्लड टांस्फ्यूजन / चीलेशन थैरेपी भी सम्मिलित होनी चाहिए।

<u>अपवर्जन :</u>

(अ) रोगी को मामूली थैलेसीमिया भी हो सकता है। रोगी को एनीमिया समवर्ती संक्रमण या तनाव के कारण गंभीर हो सकता है। एनीमिया पोषक तत्वों की कमी या अन्य जुड़े पहलू के कारण भी गंभीर हो सकते हैं।

(ब) रक्त संचारण की आवश्यकता नहीं है और इन रोगियों को केलेशनथेरेपी की आवश्यकता नहीं है।

(vi) <u>पार्किंसंस रोग:</u>

कंपन, कठोरता , सुस्ती, और संतुलन की अशांति के कारण तंत्रिका तंत्र का धीरे-धीरे प्रगतिशील अपक्षयी रोग जिसकी एक न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए।

<u>समावेश :</u>

मांसपेशियों की कम शक्ति के कारण अनैच्छिक लड़खड़ाती गति, जो अंग गतिशील नहीं हैं और वो किसी सहारे के साथ भी आगे नहीं मुड पाते हों या गतिशील नहीं हो पाते हों और जिनमें किसी प्रकार की इंद्रियाँ कार्यशील नहीं हो।

<u>अपवर्जन :</u>

(अ) जिन रोगियों की दवाइयों के कारण हालत स्थिर हो।

(ब) 5 साल की अवधि के भीतर पार्किंसंस रोग।

<u>आवश्यकताएँ</u> :

बीमारी के पता लगने की तारीख, अस्पताल में भर्ती होने का विवरण,उपचार की अवधि, अस्पताल से छुट्टी का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए। रोग की प्रगतिशीलता के बारे में ज़िक्र किया जाना चाहिए और रोग के विवरण की न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए।

(vii) <u>मोटोर न्यूरॉन रोग</u>

धीरे-धीरे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की मोटोर न्यूरॉन कोशिकाओं का प्रगतिशील अध:पतन,कमजोरी के कारण हाथ पैर हिलाने, बोलने और निगलने में कठिनाई हो, इसकी एक न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए।

<u>समावेश</u> :

कमजोरी के कारण अंगों का स्फुरण/प्रगतिशील मोटोर न्यूरॉन बीमारी, जर्क एवं एक्सटेंशन पेटंट रेस्पोंस के फेसीकुलेशन आफलिंबस

<u>अपवर्जन</u>:

संक्रमण, दर्दनाक न्यूरोपैथी,02 अंगों से कम की मोटोर न्यूरॉन बीमारी और मांसपेशियाँ की कमजोरी 3 ग्रेड से अधिक हो।

<u>अपेक्षाएँ:</u> इसके साथ विधिवत एमआरआई, ईएमजी और तंत्रिका चालन परीक्षण संलग्न किया जाना चाहिए।

(viii) <u>एड्स:</u>

समावेश: वह व्यक्ति जिसमें एचआईवी+ रोग की पहचान हुई हो और उसका इलाज चल रहा हो।

(ix) अन्य कोई रोग जिसमें 50% से अधिक मानसिक विकलांगता होने की क्षेत्रीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा भली-भॉति जॉच की हो और इसके विषय में तीन मॉह के भीतर के अद्यतन रिकॉर्ड/ रिपोर्ट सहित संस्तुति हो।

विशेष: इस मार्गर्दर्शिका के हिंदी अनुवाद में यदि कोई विवेचना का अंतर हो तो अंग्रेजी रुप मान्य होगा।